

Registration no: ( 22313232021927191816 ) Date: ( 27-09-2021 ) Valid till: ( 27-9-2024 )



विद्या विकास पदार्थिकारी कार्यालय | KHAGARIA  
विद्या विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक  
केन्द्रीय प्रशासिक विद्या बोर्ड, ०  
विद्या भैरु, २ कम्प्यूनिटी सेंटर ०

विषय: - बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य विद्या अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 10 के प्रयोगनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य विद्या नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अनुरूप विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रश्नापत्र ।

महाराज,

आपके आवेदन पत्र दिनांक: 27-09-2021 और उसके साथ मैं आपसे किए गए व्यापार एवं विद्यालय के किये गए नियमित्य के आलोक आपके विद्यालय ST. XAVIER'S HIGH SCHOOL ( ACC - MISSION ), TIKARAMPUR, MATHURAPUR, KHAGARIA, KHAGARIA, 851204 . कक्ष १ से ८ तक संचालन हेतु तीव्र वर्षा 29-04-2022 से 27-4-

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न बातों के अनुपालन के अधीन होती ।

1. प्रस्तीकृति में कक्ष ३ तक की सीमा के बाहर बायं नहीं होती ।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य विद्या अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा विद्यालय मुफ्त एवं अनिवार्य विद्या नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।
3. विद्यालय अपनी कक्ष १ में बच्चों के नामांकन की कुल कमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने ३ करेगा । पढ़ोत्तर के कम्बोड़ वर्ग एवं असाध्यकारी लम्हे के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक विद्या उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, इन्हनु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्रारंभिक कारबाहों का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण प्रारंभिक कक्ष के लिए भी किया जाएगा ।
4. कठिका ३ में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य विद्या अधिनियम की धारा 12 की उपचारा २ के आलोक में नियरित रायि की प्रतिपूर्ति की जाएगी । प्रतिपूर्ति की जानेवाली गणि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अत्यन्त लम्हे से बैक खाता का संभारण करेगा ।
5. सोसाईटी / विद्यालय के हारा किसी प्रकार का कैरिटेशन छींस नहीं प्राप्त किया जाता है तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अधिभावक का स्टीविंग ट्रेस नहीं किया जाएगा ।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण वर्ग के अनुपालन नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारबाहों या इसमें से किसी एक कारबाह के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा ।
7. विद्यालय के हारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

- (I) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्ष में रोकार नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक विद्या पूरी होने तक विद्यालय से निष्काशित किया जाएगा ।
- (II) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का सारोंरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रवाहित नहीं किया जाएगा ।
- (III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक विद्या पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होती ।
- (IV) प्रारंभिक विद्या पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।
- (V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकासांग / विकास आवश्यकता वाले बच्चों का सम्बोधन किया जाएगा ।
- (VI) विद्यकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपचारा में उनके लिए नियरित अनुसन्धान योग्यता के अनुसन्धय विद्या जाएगा ।
- (VII) विद्यक अधिनियम की धारा 24 की उपचारा १ में प्रावधानित विद्यकों के दायित्व का निर्धारण करेंगे ।
- (VIII) विद्यक निम्न स्तर पर किसी भी प्रकार की विद्या वित्तिकृति में संतुष्ट नहीं होते ।

8. विद्यालय राज्य सरकार हारा नियरित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसंर्वाद का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपरब्द सविधाओं के आवश्यकतावाले रूप से बच्चों का नामांकन करेगा ।

Rams H Cm ..

- (i) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 202.4
- (ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 202.4
- (iii) खेल के मैदान के क्षेत्र :- PLAYGROUND, DRINKING WATER, URINAL, TOILET, PARKING, GARDEN, RO, FIRE EXTINGUISHER, SMART BOARD
- (iv) बर्फ कब्जो की कुल संख्या :- 10
- (v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भैठार कक्षा :- 12
- (vi) बाटक उच्च वालिकाओं के लिये असग-जलग शौचालय :- Indian , Boys :- 15 , Girls 10
- (vii) पेपरबत की सुविधा :- 10
- (viii) मध्याह्न भोजन के लिये सोसाईटी कार :- 3
- (ix) बापारहित पहुँच, ] :-
- (x) विद्युत अधिगम सामग्री/ खेल-कुट उपकरण/प्रशिक्षण प्रयोगशालय प्रयोगशालय :- Smart board, Laptops, Desktops, Maps, Globe, Science Chart, , Carrom board, Shot - Put Badminton Net, Javelin, Wicket, Chess, Ludo, Carrom powder, Volley Ball, Volley Ball Net, Badminton, Cork, Bat, Leg pad, Hand Gloves, Wicket Keeper Hand Gloves, Helmet, Skipping Rope, A.D Guard, Business Game , ( Y , 899 , NewsPaper Magazines:- 4 )

11. कोई भी अपर्याप्त वर्षाका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा ।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरक्षणार्थी अथवा मैदान का उपयोग के बावजूद विद्युत उच्च वालिकास के लिए होगा ।
13. विद्यालय सोसाईटी रविस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्वर्गित निर्विवित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्वाचित समय में सार् कानून के डाक गठित किसी प्रक्रिया द्वारा के गांधर्म से 13 संबंधित होगा ।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समृद्ध अथवा व्यक्तियों के संब अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संबंधित नहीं होगा ।
15. सेता का अंकेष्टण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउटेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्वाचित नियमों के आधों में उपर्युक्त सेता विवरणी दैवत की जाएगी। प्रत्येक सेता विवरणी की एक प्रति प्रतिशर्व विद्या विद्युत अधीक्षक को भेजी जाएगी ।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या [ 22313232021927191818, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रावाहन करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।
17. निदेशक, प्राधिकरित विद्या / विद्या विद्युत पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "मौत किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के सहर प्रस्तीकृति भी जातें के समानार रूप से पूरा करने की सुनिहितता हेतु अपना विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्वाचित अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।
18. यदि सोसाईटी के निवासन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिहित किया जाए ।
19. अनुत्प्राप्त ॥ के रूप में सेता अन्य शर्ते

विद्यालयभाष्यन

₹०/-

विद्या कार्यालय पदाधिकारी, KHAGARIA  
सह-सचिव प्रस्तीकृत समिति  
विद्या विभाग , विहार सरकार

NOC LETTER

48  
24.5.22  
जिला विद्या पदाधिकारी  
खगड़िया

PRINCIPAL  
ST. XAVIER'S HIGH SCHOOL, M.P.

MANAGER  
ST. XAVIER'S HIGH SCHOOL (ACC-MISSION)  
TIKAMGARH